न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–6/2023

रामचन्द्र पंडित.....वादी

बनाम

मोतीलाल दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
12.01.2026	वादी की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 28.01.2025 अंदर आदेश 01 नियम 10(2) एवं (4) व्य0प्र0सं0 को दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 12.01.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि सभी 6 प्रतिवादीगण में प्रतिवादी सं0–1,2,4 ता 6 ब्यान तहरीरी दाखिल करने से वंचित है तथा प्रतिवादी सं0–3 के विरूद्ध एकतरफा निर्धारित है। प्रतिवादी सं0–04 के पुत्र एवं प्रतिवादी सं0–05 वो 06 के भाई लालबाबू दास जो इस मुकदमें में पक्षकार नहीं है के द्वारा कुल तीन किता बयनामा दस्तावेज वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में दिनांक 27.12.24/ 28.12.2024 वो 02.01.2025/03.01.2025 वो 06. 01.2025/07.01.2025 को क्रमशः श्रीमति सरस्वती देवी को 06 धूर वो श्रीमति लालसा देवी को 10 धूर वो श्रीमति आशा कुमारी को 2 धूर के संदर्भ में निष्पादित किया गया है तथा एक दस्तावेज में द0–कच्ची रास्ता तथा दो दस्तावेजों में द0– खेसरा सं0–492 एवं अन्य चौहदी में नीज लेख्यकारी दिया गया है, केवल लालसा देवी के दस्तावेज में पूरब सरस्वती देवी दर्ज है। विवादित भूमि के दक्षिण रास्ता जो खेसरा नं0–492 में है तथा रास्ता से सटे उत्तर की भूमि जो विवादि भूमि है के संदर्भ में दस्तावेज निष्पादित है। लालबाबू दास द्वारा इस वाद के प्रतिवादीगण के मेल में बड़ी चतुराई से गलत चौहदी अंकित करते हुए विवादी भूमि के संदर्भ में जान बूझकर बयनामा दस्तावेजों का निष्पादन किया गया है जबकि लालबाबू दास वादग्रस्त खेसरे की भूमि के संदर्भ में एक अधिकार विहिन व्यक्ति है तथा उनका न तो कोई सम्बंध खतियानी बकब्जेदार रैयत दुबरी के वंशवृक्ष से है और न ही लालबाबू दास के नाम अथवा उनके पूर्वजों के	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–6/2023

रामचन्द्र पंडित.....वादी

बनाम

मोतीलाल दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 12.01.2026	नाम वादग्रस्त खेसरे की भूमि के संदर्भ में कोई विक्रय विलेख निष्पादित है। वाद के दौरान वाद भूमि के संदर्भ में निष्पादित उपरोक्त वर्णित निबंधित विक्रय विलेख के क्रेता एवं विक्रेता इस वाद में आवश्यक पक्षकार है जिन्हें प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है ताकि न्याय करने में सहुलियत हो सकें, साथ ही वाद के दौरान वादग्रस्त भूमि से संबंधित उपरोक्त वर्णित निष्पादित बयनामा दस्तवेजों के संदर्भ में भी न्याय निर्णय हो सकें। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि श्रीमति सरस्वती देवी, श्रीमति लालसा देवी, श्रीमति आशा कुमारी एवं श्रीलालबाबू दास को प्रतिवादी कॉलम में नाम जोड़ते हुए पक्षकार बनाने तथा वादी को वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा की जाए। प्रतिवादीगण को वादी के आवेदन दिनांक 28.01.2025 का प्रतिउत्तर दाखिल करने से दिनांक 07.07.2025 को वंचित कर दिया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 28.01.2025 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है श्रीमति सरस्वती देवी, श्रीमति लालसा देवी, श्रीमति आशा कुमारी एवं श्रीलालबाबू दास को प्रतिवादी कॉलम में नाम जोड़ते हुए पक्षकार बनाने तथा वादी को वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी व्यक्तियों को वाद का आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए। आवेदन में वर्णित लोग वाद के आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 28.01.2025 को स्वीकृत किया जाता है एवं वादी को निर्देश दिया जाता है कि विधिक समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में श्रीमति सरस्वती देवी, श्रीमति लालसा देवी, श्रीमति आशा कुमारी एवं श्रीलालबाबू दास को प्रतिवादी	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–6/2023

रामचन्द्र पंडित.....वादी

बनाम

मोतीलाल दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 12.01.2026	कॉलम में नाम जोड़े। तद्पश्चात वादी की ओर से जोड़े गए प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 20.02.2025 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	